राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I/6249-58 दिनांकः– 28-11-14

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 404/2013–14 दिनांक 4.3.2014 के द्वारा श्री गोपाल लाल सुखवाल सहायक निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ से उपकोषालय देवगढ़ (राजसमन्द) स्थानान्तरण करते हुए निर्देश दिये गये थे कि कार्यग्रहणकाल का उपयोग किये बिना नवीन पदस्थापन स्थान पर अविलम्ब कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को फैक्स द्वारा प्रेषित करे, परन्तु श्री सुखवाल ने आज दिनांक तक नवीन पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण नही किया है। अतः श्री गोपाल लाल सुखवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– प्रथम (लिंक नम्बर–8648) को निदेशालय के स्तर से कार्यमुक्त करते हुए निर्देश दिये जाते है कि वे तुरन्त प्रभाव से नवीन पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करके दूरभाष/फैक्स के माध्यम से निदेशालय को अवगत करावे। दिनांक 2.12.2014 तक कार्यग्रहण की सूचना प्राप्त नही होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (ग) (1) अलेसे–I/6249-58 दिनांकः– 28-11-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सहायक निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि वे श्री सुखवाल को दिनांक 2.12.14 तक नवीन पदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करे।
3. कोषाधिकारी चित्तौड़गढ को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि श्री सुखवाल का माह दिसम्बर 2014 का वेतन भुगतान का बिल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नही करे।
4. कोषाधिकारी राजसमन्द।
5. श्री गोपाल लाल सुखवाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यग्रहण काल का उपभोग किये बिना दिनांक 2.12.14 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई–मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
7. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/गोपनीय अनुभाग/गार्ड फाईल।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– II)